

11.02.2024 वकिल प्रार्थी अनुपस्थित। चूंकि मूलवाद का निष्कारण हो चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदन का आगे चलाने का औचित्य नहीं है। ग्लिडाजा प्रार्थी का आवेदन का इसी स्टेटस पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दायरेल इफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा